

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

करण सिंह

बनाम

मेरु सिंह

केसम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

232/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4.6.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>करण सिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>प्रतापसिंह राजपूत</u></p> <p>निवासी- <u>रोजडा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>रोजडा</u> <u>प.ह. तुम्हडिया</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>191/1001, 370, 672/1002, 673, 674</u> <u>0.37, 0.8, 0.02, 0.31, 0.16</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> कुल रकबा <u>1.72</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>रोजडा (तुम्हडिया)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>191/1001, 370, 671, 672/1002, 673, 674</u> <u>0.37, 0.8, 0.06, 0.02, 0.31, 0.16</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> रकबा <u>1.72</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>15 हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(बीनू देवस) सहायक कलेक्टर एच उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>